# श्रम विभाग के खुद के हाल बदहाल, श्रमिकों के मदद की कहाँ उम्मीद

**फरीदाबाद ( ममो )** मजदूर मोर्चा की टीम ने जब श्रम विभाग के सेक्टर 12 स्थित करोड़ों रुपये के नए बने कार्यालय का दौरा किया तो वहां बदहाली का अजब मंजर देखने को मिला। घुसते ही भूतल पर स्थित कैंटीन अभी चालू नहीं की गई थी और उसमे धूल जमी पड़ी थी। दीवारों पर कई-कई फीट जाले लगे पड़े थे। दफ्तर के सारे बरामदे, सीढ़ियों आदि का यही हाल था। जगह-जगह गुटके की पीक थूकी हुई थी। कार्यालय में तीन लिफ्टें लगाई गई है पर कोई भी लिफ्ट अभी तक चालू नहीं की गई। शौचालयों पर ताले लटके पड़े हैं तो फर्नीचर के नाम पर टूटी-फूटी मेज कुर्सियां पड़ी है, जिनसे कर्मचारी जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। याद दिला दें कि इस दफ्तर की प्रमुख अधिकारी, उप-श्रमायुक्त सुधा चौधरी को पिछले दिनों सरकार ने निलंबित कर दिया था। वह जनवरी 2021 में सेवानिवृत होने वाली थीं।

दफ्तर के कर्मचारियों ने बताया कि बार-बार उच्च अधिकारियों को लिखने के बावजूद न तो एक भी सफाई कर्मचारी की यहाँ नियुक्ति की गई है और न ही पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर दिया गया है। लिहाजा दफ्तर के एकमात्र चौकीदार से ही सफाई कर्मी का काम लिया जा रहा है और टूटे फर्नीचर से ही काम करने को हम मजबूर हैं। इसीलिए सारे कार्यालय में गन्दगी व् धूल का साम्राज्य है। पहली मंजिल पर स्थित तीन श्रम न्यायालयों के जजों ने जरूर कहीं से दो-तीन सफाई कर्मचारी झटक लिए हैं जो सिर्फ उनके यहाँ सफाई कर देते हैं।

बिल्डिंग का क्योंकि अभी कोई विधिवत कब्जा नहीं लिया गया है इसलिए फायर विभाग व् अन्य विभागों से एनओसी भी नहीं प्राप्त हुई है। न ही लिफ्ट का लाइसेंस मिला है जिस कारण तैयार होने के बावजूद भी लिफ्ट बंद पड़ी हैं। पूरा दफ्तर एक असहाय और अनाथ अवस्था में चल रहा है। जज साहेबान भी रोज इन हालातों से मुखातिब होते ही होंगे। ऐसे दफ्तर और न्यायलय जो खुद अपने हालातों पर रो रहे हों वे श्रमिकों के हालात क्या सुधार पाएंगे, विचारणीय है। **-अजातशत्रु**


## घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

**आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।**

**अन्य बिक्री केन्द्र :**

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन - बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने


# चोट अर्णब को लगी, घायल हुए मोदी!

**महेन्द्र मिश्र**

**ह**म अपनी नागरिकता बोध खोते जा रहे हैं और एक कबीलों के देश में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मसले पर सामने आयी प्रतिक्रियाएं कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी ने उसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। तार्किक और तथ्यात्मक तथा ईमानदारी से चीजों को देखने और समझने वाले तथा न्याय में यकीन रखने वाले एक हिस्से ने बेहद संयमित और वाजिब प्रतिक्रिया जाहिर की है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान कहिए या फिर कथित राष्ट्रवादी धारा से जुड़े हिस्से ने एक बार फिर अंधभक्तों जैसा ही व्यवहार किया है। शुरुआत गिरफ्तारी के मुद्दे से ही करते हैं। अवलन तो यह गिरफ्तारी अर्णब के किसी पत्रकारिता से जुड़े मसले पर नहीं हुई है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर किसी पत्रकार को बेवजह परेशान करने का मामला ही नहीं बनता।

इस केस में एक चैनल के मालिक ने किसी शख्स या फिर उसकी कंपनी से काम करवाया और उसके काम के एवज में उसके 5 करोड़ बकाए का भुगतान नहीं किया। बार-बार तगादे से थक हार कर संबंधित शख्स ने अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। और वह अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया जिसमें अर्णब गोस्वामी समेत उनकी कंपनी के दो और लोगों के नाम हैं। इसमें उसने साफ-साफ लिखा है कि वह यह आत्महत्या अपना बकाया न मिल पाने और उससे खड़ी हुई परेशानी के चलते कर रहा है। अन्वय नाइक नाम के इस शख्स और उसकी मां कुमुद ने यह खुदकुशी 2018 में की थी। एक नागरिक के तौर पर क्या इस देश में अन्वय को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी पत्नी और बहन को यह हक नहीं है कि वह सूबे और देश की सरकारों के सामने अपने भाई-पति और मां के लिए न्याय की गुहार लगा सकें? इस मसले को तवज्जो न देने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वही अर्णब गोस्वामी जो अपने साथ राजनीतिक बदले की कार्रवाई का गाना गा रहे हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है जब ठीक इसी तरह के एक मसले पर तीन महीने तक पूरे देश को परेशान कर रखे थे। दिन-रात रिपब्लिक टीवी पर एक ही खबर चलती थी वह थी सुशांत आत्महत्या प्रकरण। अर्णब ने शायद ही किसी दूसरे मसले पर इतने प्राइम टाइम शो किए होंगे। जबकि इस प्रकरण में न तो कोई सुसाइड नोट था और न ही किसी तरह का कोई पुख्ता सुबूत। बावजूद इसके महज शक की बिना पर और देश की सत्ता की जरूरतों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को सारे गोदी चैनलों ने हत्यारी और दोषी करार दे दिया था। और जब उसी तरह का एक दूसरा मसला सामने आया है जिसमें कि ठोस सबूत हैं तब उनके समर्थक और जमात के लोग चाहते हैं कि उस पर कोई बात ही न की जाए। या फिर उसे बिल्कुल भुला दिया जाना चाहिए। और रही पुलिस जांच और उसके द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने की बात तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह सब कुछ बीजेपी नेता फड़वनीस के शासन काल में हुआ है। और फड़नवीस समेत सारे बीजेपी के कद्दावर नेताओं का अर्णब प्रेम कल ट्विटर की टाइमलाइन और मीडिया में उनके बयानों के तौर पर तैर रहा था।

ऐसे में किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल नहीं है कि फडनवीस और उनकी पुलिस ने उस मामले में ऐसा क्यों किया होगा? अब अगर उस समय अन्वय के परिवार को न्याय नहीं मिला तो क्या आगे भी उसे न्याय पाने का हक नहीं है? अगर गांधी की हत्या के 72 सालों बाद भी संघ-बीजेपी और उससे जुड़े परिवारी संगठन उसकी फिर से जांच की मांग उठा सकते हैं तो फिर दो साल पहले हुई एक आत्महत्या के मामले की भला जांच क्यों नहीं हो सकती है? और ऐसी स्थिति में जबकि सार्वजनिक तौर पर सामने आयी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि पीड़ित और उसके परिजनों के साथ न्याय नहीं हुआ है।

इसके साथ ही कुछ लोग कल अर्णब की गिरफ्तारी के समय कथित पुलिस ज्यादती पर रणरोवन कर रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं कि किसी भी शख्स के साथ एक सिविल नागरिक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह सच है कि अर्णब के साथ पुलिस ने ऐसा कुछ किया है। सामने आए वीडियो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। जबकि उल्टे अर्णब तकरीबन 20 मिनट तक अपने सोफे पर बैठे रहे और वह सामने मौजूद पुलिस प्रशासन और उसकी पूरी टीम को भाषण

शेष पेज 5 पर

**गतांक की चीर-फ़ाड़**

# सारी समस्याएं ढक दीं लव जिहाद से

**डॉ. जुगल किशोर गुप्ता**

**मज़दूर मोर्चा के 1-7 नवम्बर 2020** के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व साहित्यिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। फ़रीदाबाद ज़िले के अग्रवाल कॉलेज, की छात्रा निकिता तोमर के रावल स्कूल में सहपाठी रहे तौसीफ़ ने दिन दहाड़े उसका अपहरण करने की कोशिश नाकामयाब होने पर उसकी गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी।

तौसीफ व उसके सहयोगी रेहान को बाद में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। 'निकिता हत्याकांड की आड़ में संघी, ने खेला लव-जिहाद कार्ड-हत्या की आड़ में खेल रहे जहरीली राजनीति' तथा लैंगिक दादागिरी का चलन और लव जिहाद की राजनीति में इस जघन्य हत्या व संघ परिवार की साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का सटीक विश्लेषण किया गया है।

**इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड से लोगों में भारी आक्रोश हो गया। हिन्दुत्ववादी संगठन तथा भाजपाई नेता तथाकथित 'लवजिहाद' का मुद्दा उछालकर भड़काऊ भाषणों से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने में लगे हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर उसे 2018 से जांच करने के आदेश के साथ ही लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने का आदेश दिया है। भाजपाई शासित राज्यों विशेषकर हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकारें लव जिहाद के विरुद्ध कड़े कानून बनाने जा रही है।**

**निकिता हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए संघ परिवार, राजनीतिक दलों व अन्य सामाजिक संगठनों के लोग बढ-चढ कर दावा कर रहे हैं कि निकिता पूरे हरियाणा की बेटी थी और पूरे हरियाणा को इस घटना पर दुख है, लेकिन इनमें से किसी ने आज तक बुटाना गांव की लड़कियों से हुए पुलिसिया गैंगरेप और जुल्म के खिलाफ़ एक बार भी आवाज नहीं उठाई। क्या बुटना की उत्पीड़ित दलित लड़कियां हरियाणा की बेटियां नहीं है?**

**गैंगरेप की शिकार दलित लड़की की मां ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका में इंसाफ की मांग की है। 'बुटाना कांड पहुंचा हाई कोर्ट, याचिका में कहा-दोनों लड़कियां फ़र्जी एनकाऊंटर की गवाह, इसलिये पुलिस ने उन्हें सबक सिखाया और मामले में फंसाया-भीम आर्मी ने खट्टर सरकार को सात नवम्बर तक की दी चेतावनी। में बुटाना कांड में पुलिसिया नृशंसता का पर्दाफ़ाश किया गया है। राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों व संगठनों ने बरोदा उपचुनाव के मद्देनज़र चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब इस मामले में कई संगठन मैदान में कूद पड़े हैं।**

दरअसल अपराधी किसी जाति या धर्म का नहीं होता, वह समाज के लिये बुराई होता है। इसलिए जाति व धर्म की पहचान के आधार पर इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ़ पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा दायर याचिका में 2016 में 25 लाख रुपए की रिश्वत के भ्रष्टाचार के आरोपों का स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई को रावत के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे। लेकिन सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, क्योंकि याचिका कर्ता ने हाई कोर्ट में सीबीआई द्वारा जाच की मांग नहीं की थी। 'उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए थे मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ़ भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच के आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक' में मुख्यमंत्री रावत के भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने का भंडा-फ़ोड़ किया गया है।

आरोग्य सेतु एप बनाने के बारे में आरटीआई के जवाब में 'एनआईसी' आईटी मंत्रालय तथा नेशनल ई-गवर्नेन्स डिविजन ने बताया कि उन्हें नहीं पता ये किसने बनाया, इससे प्राप्त होने वाले डेटा किसके अधिकार क्षेत्र में है तथा सम्बन्धित फ़ाईल कहां है से नाराज होकर केन्द्रीय सूचना आयोग ने तीनों विभागों/मन्त्रालय के प्रमुखों को लिखित में विस्तृत जवाब देने के लिये 24 नवम्बर को तलब किया है। 'आरोग्य सेतु एप का रहसय' में आरोग्य सेतु एप बनाने के रहस्य को बेनकाब किया गया है।

विदित रहे कि मन्त्रालय का कथन है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने पब्लिक प्रइवेट पार्टनरशिप प्रणाली (पीपी मोड) पर आरोग्य सेतु एप शुरू किया था। लेकिन इस के लिये संसद में कोई कानून नहीं बनाया गया, फ़िर भी एक सरकारी आदेश के जरिए इसे सबके लिए अनिवार्य बना दिया गया।

**बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा तथा इनैलो ताल ठोंक कर आजमाईश करने में लगे हुए है। 'बरोदा के दंगल में फंसी बीजेपी, लेकिन हुड्डा की लीडरशिप और किसान राजनीति पर भी होगा फैसला', 'बरोदा चुनाव में खिलाड़ियों में भी खेमेबंदी' तथा और मलिक खाप के समर्थन की कीमत नहीं लग सकी' में चुनावी समीकरणों का आंकलन किया गया है। बरोदा कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिये इस उपचुनाव का परिणाम मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के नेरेटिव को प्रभावित करेगा।**